संख्या : 11 / XXXIV-1 / 2020 / 67/2014

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
देहरादून।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2020

विषयः स्थायी अनुपयोगिता समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या– 1096/ITDA-667/2019-20 दिनांक 26.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 175 / XXXIV / 2016(67) / 2014 दिनांक 20.05.2016 के द्वारा प्रख्यापित सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिये नीति– 2016 (Condemnation and Disposal of ICT Components Policy 2016) में निहित प्राविधान के अनुरूप शासन स्तर पर स्थायी अनुपयोगिता समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिये नीति– 2016 में निहित प्रावधान के अनुरूप सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्थायी अनुपयोगिता समिति गठित की जाती है–

1. सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 – उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
4. एस0आई0सी0, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य

उक्त स्थायी अनुपयोगिता समिति विभाग की अनुपयोगिता समिति द्वारा अनुपयोगिता रिपोर्ट का पुर्नविलोकन और अनुमोदन करेगी। स्थायी अनुपयोगिता समिति मूल्य वापसी या निस्तारण की अनुपयोगिता की रीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये भी उत्तरदायी होगी।

Scanned by CamScanner